पी0ए0 केश नं0– 01 / 19–20

नवीन कुमार महतो बनाम् रैयान मौजा– धुनियाबांध

–: आदेश :–

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक नवीन कुमार महतो, पे0–स्व0 रामनाथ महतो, सा0–धुनियाबांध, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा– धुनियाबांध नं0–169, 201 के ग्राम प्रधान बहाली हेतु प्रारंभ किया गया है। बाद में आवेदक क्रांति कुमार, पे0–स्व0 देव नंदन महतो, सा0–धुनियाबांध, अंचल व थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा द्वारा ग्राम प्रधान बहाली हेतु दिनांक–31.07.2019 को आवेदन दिया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया ।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक–599 / रा0, दिनांक–07.09.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदक नवीन कुमार महतो, मौजा–धुनियाबांध नं0–169, 201, जमाबंदी नं0–06 के खतियानी रैयत डोमन महतो का परपोता है। आवेदक पूर्व प्रधान का वंशज नहीं है। वर्त्तमान में मौजा खास है। आवेदक नवीन कुमार महतो, पे0–स्व0 रामनाथ महतो को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–05 के तहत् मौजा–धुनियाबांध नं0–169, 201 के प्रधानी पद पर बहाली हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा दिनांक–19.07.2019 को 11:00 पूर्वा0 प्रा0 वि0 धुनियाबांध के प्रांगण में ग्राम पंचायत के मुखिया अशोक कुमार महतो की अध्यक्षता में ग्राम प्रधान बहाली हेतु ग्राम सभा की गई, जिसमें सभी जमाबंदी रैयतों के वारिसानों द्वारा सर्व सम्मति से आवेदक नवीन कुमार महतो, पे0–स्व0 रामनाथ महतो, सा0–धुनियाबांध को मौजा–धुनियाबांध नं0–169, 201 का ग्राम प्रधान चुना गया है। साथ में जमाबंदी रैयत की सूची एवं ग्राम सभा की हस्ताक्षरयुक्त मूल प्रति संलग्न किया गया है। किसी भी रैयत द्वारा आवेदक नवीन कुमार महतो, पे0–स्व0 रामनाथ महतो के विरूद्ध आपत्ति नहीं दिया गया है तथा किसी भी प्राधिकार द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली, 1950 की अनुसूची–V के अनुसार निदेशित अयोग्यताओं के आलोक में अयोग्य मानने का अनुरोध नहीं किया है या प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–5 तथा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 की अनुसूची–V के आलोक में आवेदक नवीन कुमार महतो, पे0–स्व0 रामनाथ महतो, सा0–धुनियाबांध, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को मौजा–धुनियाबांध नं0–169, 201 का प्रधान नियुक्त किया जाता है तथा क्रांति कुमार, पे0–स्व0 देव नंदन महतो, सा0–धुनियाबांध, अंचल–ठाकुरगंगटी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित सुरक्षित जमा के आलोक में एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।
20/01/2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

20/01/2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen 30/01/20

F/Order.

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 16:38:11 +05:30
Location: 192.168.1.51